

छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
:: मंत्रालय ::



महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

Email id-henv.cg@nic.in

क्रमांक: एफ 04-46/2023/32
प्रति,

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 मार्च, 2024

सचिव,

भारत सरकार,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, नई

दिल्ली- 110003

विषय :- जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023 संबंधी संकल्प।
संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक D.O.No.Q-15012/2/2022/CPW, दिनांक 29.11.2023

—000—

विषयांतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) एवं खण्ड (2) के प्रावधानानुसार "जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2023" (The Water (Prevention and Control of Pollution) Amendment Bill, 2023) के संबंध में छत्तीसगढ़ विधान सभा द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2024 को सर्व सम्मति से संकल्प पारित किया गया है। जिसकी छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

R. Mangrulkar
(आर.शंगीता) 7/3/24
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

पृ.क्रमांक: एफ 04-46/2023/32
प्रतिलिपि:-

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 मार्च, 2024

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, छ.ग.शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर,
2. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, पर्यावास भवन, से.19, नवा रायपुर,
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

ACE(R)(U) SE/S

ALLIED
M. S. DEVI
19/3/24

R. Mangrulkar
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

PRO
RKEV
20/3/2024

www
20/3/2024

PI. Sec.
19/3/24

2 MAR 2024

msch
20/3/2024




छत्तीसगढ़ विधान सभा
(फरवरी-मार्च, 2024 सत्र)

संकल्प

“यह सदन भारत सरकार द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 6 सन् 1974) में प्रस्तावित संशोधन हेतु लाये जल (प्रदूषण का निवारण तथा नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 2023 का अनुसमर्थन करता है, जो संविधान के अनुच्छेद 252 की परिधि के अंतर्गत आता है।”

उपर्युक्त संकल्प बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 को छत्तीसगढ़ विधान सभा में सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।


(डॉ. रमन सिंह)

अध्यक्ष,

छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 29 फरवरी, 2024